राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 150

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 8 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सौवें टी-20 में रोहित ने भारत को दिलाई यादगार जीत

>> 14

सरोकार

मलबरी सिल्क के धागों से रफू हो रही किस्मत की फटी चादर

पटना : 2008 में बाढ़ की त्रासदी झेलने के बाद कोसी की किस्मत बदलने के लिए बिहार में शुरू की गई मुख्यमंत्री कोसी मलबरी परियोजना ने अब रंग दिखाना शुरू किया है। पहले कौड़ी के भाव कोकून बेचने वाली महिलाएं अब उसी कोकून से साड़ी तैयार कर लाखों रुपये कमा रही हैं। (पेज-10)

जागरण विशेष

बिटिया ने मम्मी को बनाया चैंपियन तलवारबाज

जींद : हरियाणा के जींद जिले की निवासी 11 वर्षीय कनुप्रिया ने कोच की भूमिका निभाई तो उसकी मां लवली ने फेंसिंग (तलवारबाजी) के खेल में प्रदेश स्तर पर पदकों की झड़ी लगा दी। अब निशाने पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाएं हैं। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

जाति आधारित भर्ती के विज्ञापन से रेलवे की किरकिरी

नई दिल्ली : भारत में जाति के आधार पर भर्ती (सरकारी या निजी) की इजाजत नहीं है, पर रेलवे की कैटरिंग से जुड़ी एक कंपनी ने कुछ ऐसा ही किया। नतीजतन, कंपनी को सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ा। किरकिरी होने पर रेलवे की ओस से चेतावनी मिलने पर कंपनी ने न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि संशोधित विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश भी दिया।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

दुनिया में मंदी, भारत तेजी से बढ़ रहा है आगे : प्रधानमंत्री

धर्मशाला : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को धर्मशाला में आयोजित पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया में मंदी है, लेकिन भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा। विकास दर में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में समाज, सरकार, अप्रोच और ज्ञान के चार पहियों पर विकास की गाड़ी दौड़ रही है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

पाकिस्तान में हिंदू छात्रा की दुष्कर्म के बाद हुई थी हत्या

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सिंध प्रांत में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई हिंदू छात्रा नमृता चंदानी की अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट से यह उजागर हुआ कि नमृता की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। घोटकी जिले की रहने वाली नमृता लरकाना के बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज में स्नातक की छात्रा थीं। उनका शव गत 16 सितंबर को हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला था।

स्पोर्ट्स ▶ पृष्ठ 14

दो आइपीएल खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग मामले में गिरफ्तार

बेंगलुरु : प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और तीन आइपीएल टीमों का हिस्सा रहे सीएम गौतम एवं कर्नाटक रणजी टीम के उनके साथी अबरार काजी को कथित तौर पर कर्नाटक प्रीमियर लीग (केपीएल) में स्पॉट फिक्सिंग करने के लिए धनराशि स्वीकार करने के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया।

पासपोर्ट पर पाकिस्तान की पैंतरेबाजी

करतारपुर कॉरिडोर ▶ पाकिस्तानी सेना और सरकार के विरोधाभासी बयानों से फैला भ्रम

सेना बोली हर भारतीय को लाना होगा पासपोर्ट, सरकार ने कहा- जरूरी नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

शनिवार को करतारपुर कॉरिडोर को आधिकारिक तौर पर भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए खोला जाना है, लेकिन अभी तक पाक पैंतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा है। दोनों देशों के बीच कॉरिडोर संचालन के लिए विस्तृत समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन तीर्थयात्रियों के लिए पासपोर्ट की अनिवार्यता को लेकर पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना आमने-सामने दिख रहे हैं। सेना इसे अनिवार्य बता रही है, लेकिन इमरान खान सरकार का कहना है कि पासपोर्ट जरूरी नहीं है। वहीं, भारत का कहना है कि जब तीर्थयात्रियों से जुड़े हर मुद्दे पर समझौता हो गया है तो भ्रम फैलाने की क्या जरूरत है और वह भी यात्रा शुरू होने से दो दिन पहले। सरकार ने कहा, हम समझौते का पालन करेंगे।

भारत के गणमान्य तीर्थयात्रियों का एक आधिकारिक जत्था नौ नवंबर, 2019 को भारत के पंजाब प्रांत में स्थित डेरा बाबा नानक साहेब से पाकिस्तानी पंजाब में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर को जोड़ने वाले कॉरिडोर का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल में यह एलान किया था कि नौ नवंबर से 11 नवंबर, 2019 के बीच यात्रा करने वालों को न तो पासपोर्ट की जरूरत होगी और न ही 20 डॉलर का सेवा शुल्क देना होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के भीतर ही इस घोषणा को लेकर जबर्दस्त भ्रम है। गुरुवार को पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पहले कहा कि यात्रा करने वालों के लिए पासपोर्ट अनिवार्य होगा। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो तीन एलान किए हैं वे लागू किए जाएंगे। यानी पहचान पत्र के तौर पर पासपोर्ट लाने की बाध्यता नहीं होगी, 20 डॉलर का सेवा शुल्क नहीं देना होगा और यात्रा से 10 दिन पहले सूचना देने की बाध्यता भी नहीं होगी।

रवीश कुमार — फाइल फोटो

इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'पाकिस्तान से बहुत ही विरोधाभासी खबरें आ रही हैं। कभी कहा जाता है कि पासपोर्ट चाहिए और कभी कहा जाता है कि नहीं चाहिए। उन्हें इस तरह का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है कि वह इस कॉरिडोर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं।' कुछ दिन पहले जब इस बारे में समझौता हुआ था तब उन्हें इस तरह की भावी घोषणाओं के बारे में बताना चाहिए था। रवीश कुमार ने आगे कहा, 'जहां तक भारत का सवाल है तो हम समझौते के मुताबिक चल रहे हैं। समझौते में साफ है कि पहचान पत्र के तौर पर पासपोर्ट बाध्यकारी होगा और समझौते के इस तथ्य को अपने आप बदला भी नहीं जा सकता। ऐसे में हम यह मानकर चल रहे हैं कि कॉरिडोर से जाने वाले यात्रियों को पासपोर्ट लेकर जाना होगा और हम इस बारे में अपने यात्रियों को सूचना भी दे रहे हैं।' उन्होंने यह भी जानकारी दी कि तय समझौते के मुताबिक भारत अपनी तरफ से यात्रियों की सूचना पाक को देगा और पाक सरकार उनकी अनुमति या खारिज करने के बारे में चार दिन पहले जानकारी देगी। लेकिन दो दिन बाद यात्रा शुरू होनी है और अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है। संभवतः प्रधानमंत्री इमरान खान की घोषणा के मुताबिक पाकिस्तान सरकार फिलहाल समझौते के उक्त तथ्यों का पालन नहीं कर रही है। (पेज-5 देखें)

सिद्धू को मिली करतारपुर जाने की राजनीतिक मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसियां : कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को विदेश मंत्रालय ने करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने की राजनीतिक अनुमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में सिद्धू ने गुरुवार को विदेश मंत्रालय को एक और पत्र लिखा था।

गुरुवार को चेतावनी के अंदाज में विदेश मंत्रालय को लिखा था पत्र

विदेश मंत्री एस. जयशंकर को लिखे पत्र में सिद्धू का कहना था, 'सर, कई बार पत्र लिखने के बावजूद आपने नहीं बताया कि सरकार ने मुझे करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में पाकिस्तान जाने की अनुमति दी है या नहीं। इसमें विलंब और कोई जवाब नहीं मिलने से मेरी योजना में बाधा पैदा हो रही है।' अगर विदेश मंत्रालय ने पत्र का जवाब नहीं दिया तो मैं किसी अन्य श्रद्धालु की तरह पाक जाऊंगा।

दरअसल, पाक प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिलने के बाद सिद्धू ने भारत सरकार से राजनीतिक मंजूरी मांग थी। सूत्रों ने बताया कि उपरोक्त पत्र मिलने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि विदेश मंत्रालय की प्रेस कांफ्रेंस में प्रवक्ता रवीश कुमार ने सिद्धू की ओर से लिखे तीन पत्रों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उनका कहना था, 'इस अवसर की महत्ता के मद्देनजर कोई विशेष व्यक्ति जा रहा है या नहीं या उस व्यक्ति की यात्रा योजना के मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कि टिप्पणी करना उचित होगा कि वह विशेष व्यक्ति जा सकता है या नहीं।' वहीं, इस्लामाबाद में पाक विदेश कार्यालय ने बताया कि उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए सिद्धू को वीजा जारी किया गया है। सिद्धू ने पिछले साल पाक में कॉरिडोर की आधारशिला रखे जाने के कार्यक्रम में भी शिरकत की थी।

ज्ञात हो, शनिवार को भारत-पाक अपनी-अपनी ओर से करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। उसी दिन 550 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल करतारपुर जाएगा। इसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, हरसिमरत कौर बादल शामिल हैं। वहीं, फिल्म अभिनेता व गुरदासपुर के सांसद सनी देयोल ने कहा है, 'कॉरिडोर का खुलना ऐतिहासिक फैसला है। मैं खुद कॉरिडोर के रास्ते करतारपुर साहिब के दर्शन करूंगा।'

गेस्ट हाउस कांड में मुलायम सिंह के खिलाफ केस वापस

मायावती — फाइल फोटो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव से पूर्व सपा और बसपा ने ढाई दशक की दुश्मनी को खत्म कर जिस तरह दोस्ती की थी, वह दोस्ती तो नहीं रही, लेकिन 1995 के गेस्ट हाउस कांड में मुलायम सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमा खत्म हो गया है। चुनावी गठबंधन के एक महीने के भीतर मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से औपचारिक रूप से मुकदमा वापस ले लिया था। माया ने ऐसा करने का संकेत देकर सपा को उत्साहित तो किया था, लेकिन कभी औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में बसपा की अपील पूरे 15 साल लंबित रही।

दोनों दलों के बीच बातचीत और समझौता होने की संभावनाओं के आधार पर पहले तो कई सुनवाइयों पर दोनों पक्षों ने सहमति से अपीलों पर सुनवाई का स्थगन लिया। इसके बाद 26 फरवरी, 2019 को बसपा की ओर से पेश वकील ने न्यायाधीश एनवी रमना, इंद्रा बनर्जी और हेमंत गुप्ता की पीठ से अपील वापस लेने की इजाजत मांगी।

26 फरवरी के आदेश में कोर्ट ने कहा है कि आठ जनवरी को दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से अनुरोध किया था कि उन्हें चार सप्ताह का समय दिया जाए। आठ जनवरी से पहले यह मुकदमा गत वर्ष 19 सितंबर और 14 नवंबर को भी लगा था। इन तारीखों पर भी पक्षकारों ने आपस में समझौते की बातचीत चलने के आधार पर सुनवाई स्थगित करा ली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 24 फरवरी, 2004 के आदेश को चुनौती देने वाली बसपा की विशेष अनुमति याचिकाओं पर पहली बार नोटिस पांच मई, 2004 को लिया था। 2009 में कोर्ट ने बसपा की विशेष अनुमति याचिकाओं को विचारार्थ स्वीकार किया था, जिसके बाद दोनों विशेष अनुमति याचिकाएं आपराधिक अपील में तब्दील हो गई थीं।

1995 में हुआ था गेस्टहाउस कांड पेज>>3

महाराष्ट्र में भाजपा-सेना के बीच तनातनी बढ़ी

- राज्यपाल ने राज्य के महाधिवक्ता से मांगी कानूनी सलाह
- गतिरोध पर राय जानने को राज्यपाल कोश्यारी से मिले भाजपा नेता

महाराष्ट्र में सरकार गठन पर खींचतान के बीच गुरुवार को मुंबई में भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंट की। प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल शुक्रवार को खत्म होने से ऐन पहले राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने कानूनी पहलुओं और संवैधानिक मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी से राजभवन में चर्चा की है। इस बीच भाजपा व शिवसेना के बीच की खाई और चौड़ी हो चुकी है। लिहाजा जल्द सरकार गठन के आसार कम होते जा रहे हैं और अंतिम विकल्प के तौर पर राष्ट्रपति शासन का अंदेशा बढ़ता जा रहा है।

सरकार बनाने के लिए कोई सियासी समीकरण सही नहीं बैठते देखकर भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार दोपहर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी से मिला। गत 24 अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनाव में 105 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद कोई विकल्प न होने की सूरत में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने सरकार बनाने का कोई प्रस्ताव राज्यपाल को नहीं दिया। राजभवन से बाहर आने के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा, वह सरकार बनने में हो रही देरी के कानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए राज्यपाल से मिले हैं।

भाजपा ने कहा, अल्पमत सरकार नहीं बनाएंगे : राजभवन जाने के पहले भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, हम राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा करने नहीं जा रहे हैं। भाजपा किसी स्थिति में अल्पमत सरकार नहीं बनाएगी। हालांकि भाजपा नेता नितिन गडकरी और मुनगंटीवार अब भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व में ही सरकार बनने की बात कर रहे हैं। मुनगंटीवार के अनुसार, भाजपा सिर्फ वर्तमान हालात पर चर्चा करने के लिए राज्यपाल से मिल रही है।

59 सालों में बस दो बार राष्ट्रपति शासन : चुनाव नतीजे आने के 15 दिन बाद भी महाराष्ट्र में समय रहते सरकार न बन पाना ऐतिहासिक घटना है। राज्य के 59 सालों के इतिहास में सिर्फ दो बार राष्ट्रपति शासन रहा है। फरवरी-जून, 1980 और बाद में सितंबर-अक्टूबर 2014 में महज 33 दिन राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था।

शिवसेना बोली, भाजपा राष्ट्रपति शासन थोपना चाहती है : इधर, 56 विधायकों वाली शिवसेना ने भाजपा पर हमला और तेज करते हुए आरोप लगाया कि वह राज्य पर राष्ट्रपति शासन थोपना चाहती है। अपने विधायकों को संबोधित करते हुए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देना हो, तो ही भाजपा नेता उन्हें फोन करे, अन्यथा नहीं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, अगर (भाजपा) आपके पास बहुमत है, तो आप सरकार बनाएं, नहीं तो जनता को बताइए कि हम विपक्ष में बैठना चाहते हैं। राउत ने कहा, राज्यपाल से प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था तो उनका दायित्व बनता है कि वह 145 विधायकों के बहुमत की सूची राज्यपाल को दें। अब सिर्फ दो दिन बाकी हैं। आप जो पेंच डालना चाहते हैं कि यहां किसी की सरकार नहीं बननी चाहिए। ये संविधान के खिलाफ है। हम भी कानून के दायरे में रहकर शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे। राउत ने सदन में बहुमत सिद्ध करने का दावा करते हुए कहा, बिना पर्याप्त समर्थन हम बात नहीं करते। गुरुवार से शिवसेना के सभी विधायकों को मुंबई के एक होटल में रखा गया है।

अयोध्या मामले पर सबसे बड़े फैसले से पहले गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- उत्तर प्रदेश भेजी गईं केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की अतिरिक्त 40 कंपनियां
- अयोध्या और आस-पास के इलाकों में सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त करने का निर्देश

अगले हफ्ते अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी एडवाइजरी में फैसले के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की तैनाती बढ़ाने और अफवाहों को रोकने के लिए पुख्ता तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने सुरक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद के लिए केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल की अतिरिक्त 40 कंपनियों को भेजा है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या मामले पर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ चर्चा की और उनसे गैरजरूरी बयान नहीं देने को कहा। राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 नवंबर से पहले आने की उम्मीद है।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अयोध्या मामले में फैसले के बाद उपद्रवी तत्व माहौल खराब कर सकते हैं, ऐसी खुफिया रिपोर्ट मिल रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सावधान रहने को कहा गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि देश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हो। वहीं उत्तर प्रदेश को अयोध्या और उसके आस-पास के इलाकों में सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त करने को कहा गया है। केंद्र की ओर से भेजी जा रही केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल की अतिरिक्त 40 कंपनियों को मुख्य तौर पर रेलवे स्टेशनों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाएगा। (पेज-5 देखें)

आरपीएफ ने रद की अपने कर्मियों की छुट्टियां

नई दिल्ली, प्रेट्र : अयोध्या पर फैसले से पहले रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने भी सभी जोनों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के सिलसिले में कई दिशा-निर्देश दिए हैं। आरपीएफ ने सभी कर्मियों की छुट्टियां रद करते हुए उन्हें आधुनिक उपकरणों से लैस करने और ट्रेनों की सुरक्षा में तैनाती का निर्देश दिया है। एडवाइजरी में उन 80 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है, जहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे।

लेखक तासीर अली से छीना जाएगा ओसीआइ कार्ड

नई दिल्ली, प्रेट्र : ब्रिटेन में जन्मे लेखक तासीर अली से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआइ) कार्ड वापस लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने यह तथ्य छिपाया कि उनके पिता पाकिस्तानी थे। 38 साल के तासीर पाकिस्तान के दिवंगत राजनेता सलमान तासीर और भारतीय पत्रकार तवलीन सिंह के बेटे हैं।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, तासीर तथ्य छिपाने के कारण सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ओसीआइ कार्ड के पात्र नहीं रह गए हैं। यह कार्ड ऐसे किसी व्यक्ति को जारी नहीं किया जाता है जिसके माता-पिता अथवा दादा-दादी पाकिस्तानी हों। तासीर ने इसकी जानकारी छिपाई। एक्ट के मुताबिक, धोखाधड़ी से सुविधा पाने पर न सिर्फ कार्ड वापस लिया जाता है, बल्कि संबंधित व्यक्ति को काली सूची में डाल दिया जाता है। ऐसा व्यक्ति भारत में प्रवेश नहीं कर सकता। तासीर को सफाई देने का मौका दिया गया था, पर वह नाकाम रहे। प्रवक्ता ने इससे इन्कार किया कि तासीर से कार्ड इसलिए वापस लेने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने टाइम मैगजीन में पीएम मोदी की आलोचना करते हुए लेख लिखा था।

गुलाम नबी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या अधिकारी दंगा होने का इंतजार करते

- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने का मामला

नई दिल्ली, एजेंसियां : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के बाद लगाए गए अनेक प्रतिबंधों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद से सवाल किया कि क्या अधिकारियों को 'दंगा होने का' इंतजार करना चाहिए था।

जस्टिस एनवी रमना, आर. सुभाष रेड्डी और बीआर गवई की पीठ ने आजाद के वकील कपिल सिब्बल से सवाल किया, 'इस तरह के मामले में ऐसी आशंका क्यों नहीं हो सकती कि पूरा क्षेत्र या स्थान अशांत हो सकता है?' इस पर सिब्बल ने कहा, अफसरों द्वारा संचार और परिवहन व्यवस्था सहित अनेक पाबंदियां लगाना अधिकारों का बेजा इस्तेमाल था। सार्वजनिक सद्भाव को किसी प्रकार के खतरे की आशंका के बारे में उचित सामग्री के बगैर अधिकारी इस तरह की पाबंदियां नहीं लगा सकते। उन्होंने सवाल किया कि सरकार यह कैसे मान सकती है कि सारी आबादी उसके खिलाफ होगी और इससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। घाटी के 10 जिलों में 70 लाख की आबादी को पंगु बनाना क्या जरूरी था? उन्हें ऐसा करने के समर्थन में सामग्री दिखानी होगी। इस मामले में हम जम्मू-कश्मीर की जनता के नहीं बल्कि भारत के लोगों के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर पीठ ने उनसे सवाल किया, 'क्या उन्हें दंगा होने का इंतजार करना चाहिए था? यदि ऐसा है तो किसी भी स्थान पर धारा 144 नहीं लगाई जा सकती।' पीठ ने यह भी कहा, कुछ परिस्थितियों में किसी क्षेत्र में कर्फ्यू लगाए जाने पर भी कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। मामले में 14 नवंबर को आगे बहस होगी।

गुलाम नबी आजाद — फाइल फोटो

ऑड-ईवन पर सिब्बल की चुटकी, पुरुष हमेशा पैदा करते हैं समस्या : सुनवाई के दौरान सिब्बल ने दिल्ली में लागू ऑड-ईवन योजना का जिक्र करते हुए कहा, 'इस योजना में सब कुछ ऑड है, कुछ भी ईवन नहीं है। मैंने योजना से छूट पाने के लिए हाइब्रिड कार खरीदी थी, लेकिन इस बार उसे छूट में शामिल नहीं किया गया है। हर किसी के पास दो कारें या मोटरसाइकिलें नहीं होतीं।' इस पर पीठ ने कहा, बाइक्स को योजना से बाहर रखा गया है। सिब्बल ने कहा कि महिलाओं को भी छूट दी गई है। पीठ ने उन्हें फिर ठीक करते हुए कहा, 'नहीं, अगर वे पुरुष के साथ हैं तो महिलाओं को छूट नहीं है।' जवाब में सिब्बल बोले, 'योजना में यही अच्छी चीज है कि महिलाओं को छूट प्रदान की गई है।'

बदला मौसम

कई राज्यों में हुआ हिमपात, 16 डिग्री तक गिरा तापमान, श्रीनगर में पारा शून्य से नीचे, देश और दुनिया से कटे कश्मीर और रोहतांग, केदारनाथ में बर्फबारी से ठप रहे पुनर्निर्माण कार्य

बर्फबारी से उत्तर भारत में प्रदूषण से राहत, ठंड की आहट

जेएनएन, नई दिल्ली

प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे उत्तर भारत को पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने कुछ राहत दी है। उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में गुरुवार को बर्फबारी हुई। इसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई दिया। पंजाब से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक पूरे दिन हल्की बारिश होती रही। इस बर्फबारी से ठंड ने भी दस्तक दे दी है। एक तरफ जहां रिमझिम बारिश से पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण के स्तर में कमी आई। वहीं, दिल्ली के आसमान में न सिर्फ अब भी प्रदूषण छाया है, बल्कि गुरुवार को वायु प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया। विभिन्न एजेंसियों ने दावा किया था कि बारिश होने पर प्रदूषण के स्तर में गिरावट आएगी।

दिल्ली में बारिश के बावजूद बढ़ा प्रदूषण : दिल्ली का एयर इंडेक्स बुधवार को खराब श्रेणी (216) में था, लेकिन गुरुवार को यह फिर से बहुत खराब श्रेणी (309) तक पहुंच गया। इसी प्रकार एयर इंडेक्स फरीदाबाद (312), गाजियाबाद (325), ग्रेटर नोएडा (318), गुरुग्राम (284) और नोएडा में 328 दर्ज किया गया।

श्रीनगर में गुरुवार को सर्दियों की पहली बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी के दौरान गुजरते वाहन। प्रेट्र

चारों धामों में हुई बर्फबारी : उत्तराखंड में चारों धाम समेत सभी उच्च इलाकों में बर्फ की हल्की फुहारें पड़ीं, जबकि निचले स्थानों पर बारिश हुई जिससे ठंड बढ़ गई है। केदारनाथ में सुबह दस बजे से दोपहर तक बर्फबारी होती रही जिससे पुनर्निर्माण कार्य रुक गया। देहरादून स्थित राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटों में भी मौसम के मिजाज में कोई बदलाव नहीं होगा।

औली में 31 साल बाद हुआ नवंबर में हिमपात : उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल औली में 31 साल बाद नवंबर में हिमपात हुआ। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार औली में नवंबर में 31 साल पहले 28 नवंबर 1988 को बर्फबारी रिकार्ड की गई थी।

हिमाचल में बर्फबारी से 13 डिग्री तक गिरा तापमान : हिमाचल प्रदेश में चोटियों पर बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश से अधिकतम तापमान में 13 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। रोहतांग दर्रे में बर्फबारी होने से लाहुल स्पीति का कुल्लू से संपर्क टूट गया है।

बर्फबारी से जम गया कश्मीर : श्रीनगर समेत कश्मीर के सभी निचले इलाकों में गुरुवार को मौसम का पहला हिमपात हुआ। जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर बर्फ जमा हो जाने से यातायात ठप हो गया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर रनवे पर भी बर्फ की मोटी परत बिछ जाने से विमान सेवाएं रद कर दी गईं। घाटी में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 16 डिग्री नीचे चला गया। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 1.2 और न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे -0.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

पंजाब में भी बारिश से राहत : पंजाब में बुधवार रात और गुरुवार दिन में अलग-अलग हिस्सों में हुई बारिश से प्रदूषण के स्तर में बड़ा अंतर आया है।

भ्रष्टाचार में हटाए गए उप्र के प्रमुख मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- नियमों की अनदेखी कर जेपी एसोसिएट्स को आवंटित की थी 1083 हेक्टेयर वन भूमि

भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रही उप्र की योगी सरकार ने प्रमुख मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार को गुरुवार को पद से हटा दिया। आरोप है कि उन्होंने नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ताख पर रखकर सोनभद्र की आरक्षित वन भूमि जेपी एसोसिएट को आवंटित कर दी थी। पवन कुमार को पद से हटाने की सूचना गुरुवार को अपर मुख्य सचिव (सूचना व गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने दी। आरोप है कि मायावती शासन में वन विभाग के सचिव रहते हुए पवन कुमार ने सोनभद्र जिले की आरक्षित 1083 हेक्टेयर वन भूमि जेपी एसोसिएट्स को आवंटित कर दी जबकि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना यह जमीन किसी भी दशा में आवंटित नहीं की जा सकती थी। इससे सरकार को 400 करोड़ के राजस्व क्षति हुई थी।

यह है नियम : नियम यह है कि किसी को आरक्षित वन भूमि दे रहे हैं तो उतनी ही जमीन अन्यत्र ली जाए। साथ ही दोगुने पौधे की कीमत भी ली जाए, पर इस मामले ऐसा नहीं किया गया।

जमीन तो वापस ली, लेकिन कार्रवाई नहीं : सपा सरकार आने पर पवन कुमार के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी एके जैन ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर अखिलेश सरकार ने जेपी एसोसिएट से जमीन वापस ले ली थी, लेकिन पवन कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कहा जाता है कि पवन कुमार ने जेपी को जमीन देने के लिए सोनभद्र के डीएफओ और एफएसओ पर दबाव बनाया था। एफएसओ ने उनकी नहीं सुनी तो हटाकर दूसरा एफएसओ को तैनात कर उससे मनमाफिक रिपोर्ट लगाई। डीएफओ ने जमीन आवंटन में लिख दिया कि शासन के निर्देश पर जमीन दी जा रही है। तब पवन कुमार के आदेश पर ही जमीन दी गई थी। एके जैन ने सीबीआइ जांच की भी मांग की थी। इस मामले में तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री को जांच के लिए पत्र लिखा था।